

न्यायालय अपर सिविल जज, सी०डि०/ए०सी०जे०एम०, शाहजहाँपुर।

परिवाद संख्या-02/2018

श्रीमती सृचि बनाम शिव सिंह आदि।

थाना- जलालाबाद, जिला-शाहजहाँपुर।

दिनांक 26.02.19

पत्रावली पेश हुई। परिवादी अनुपस्थिति। परिवादी विगत कई तिथियों से नहीं आ रहा है और पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि अभियुक्त को तलब किया जा सके। परिवादी की पैरवी न करने से प्रकट होता है कि वह वाद में कोई रूचि नहीं ले रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में प्रस्तुत परिवाद अदम पैरवी में अंतर्गत धारा 203 सी०आर०पी०सी० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद धारा 203 सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज सी०डि०/ए०सी०जे०एम०,
शाहजहाँपुर।